# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
## पीठासीन अधिकारी - श्री शकुंतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- कश्मीरसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

02- भजनसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी चक 29 जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

......प्रार्थीगण ......

बनाम-

01- तरसेमसिह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक-29 जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

02- जसविन्द्रसिंह संघू पुत्र भजनसिंह संघू जाति जटसिख निवासी चक-29 जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

03- गुरसेवक सिंह पुत्र भजनसिंह जाति जटसिख निवासी चक- 29 जीबी (ए) तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज0)।

04- स्टेट आर्फ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

.......अप्रार्थीगण......

उपस्थिति- 01. साहिब बायला, वकील प्रार्थीगण
02. केवल बायला, वकील अप्रार्थीगण
03. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

**(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)**

राजस्व प्रकरण संख्या - 03/2024 निर्णय दिनांक -30.09.2024
(जी.सी.एम.एस.-2024/05)

---

### ::-निर्णय ::-

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के खातेदार कृषक जिसकी कृषि भूमि आपके उपखण्ड क्षेत्र में स्थित है। प्रार्थीगण आपके उपखण्ड क्षेत्र मे स्थित अपनी कृषि भूमि मे आने-जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-251 (ए) के तहत इजाजत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है-

प्रार्थी सं-1 कश्मीरसिंह के नाम से चक 29 जीबी (ए) का नया खाता सं-199 पुराना खाता सं-106 मुरब्बा न-42 पत्थर सं-187/412 का किला नम्बर 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6/2, 6/3, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 25/1, 25/2 मे कुल 0.6200 हैक्टर नहरी, 0.0120 हैक्टर खाला व मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 का किला नं-11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17/1, 18/2, 19 ता 22, 23/1, 24/1 मे 3.750 हैक्टर नहरी व 0.0500 हेक्टर खाला व नया खाता स-24 पुराना खाता स- 105 मुरब्बा न-43 पत्थर सं-188/412 का किला नं-1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/3, 3/4, 8/2, 9, 10, 11, 20/1 मे 1.5810 हैक्टर नहरी मय खाला खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी सं-2 भजनसिंह के नाम से चक-29 जीबी (ए) का नया खाता स- 106 पुराना खाता स-105 मुरब्बा नं-42 पत्थर स-187/412 के किला नं-5/7, 5/8, 6/1, 15/3, 16/1 व 25/3 में 0. 6200 हैक्टर नहरी व 0.0123 हैक्टर खाला खातेदारी रकबा, व इसी खाता के मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 का किला नं-1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10, 17/2, 18/1, ... 24/1, 24/2, 25/5, 25/6 में 2.9250 हैक्टर नहरी व 0.1990 हैक्टर खाला व नया खाता सं 108 पुराना ... 3 पत्थर सं-188/412 का किला नं-7/2, 12, 13, 16, ... 18/8, 19/... 4/4, ... मे 1.6370 हैक्टर नहरी कृषि भूमि व इसी मुरब्बा के नया खाता ... 3/1, 3/2, 4/1, 4/2 5/1, 5/2, 6, 7/1, 8/1, 20/2, 21/1, 21/2 ... नहरी, कमाण्ड, खाला मय रास्ता राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है।

इसके अलावा नया खाता सं-200 पुराना खाता सं-106 के ... बा नं-28 पत्थर सं-188/411 नं-24/4, 25/3, 25/4 मे कुल 0.0760 हैक्टर नहरी मय खाला खातेदारी रकबा प्रार्थीगण के

लगातार ......................(2)

ड अधिकारी
वेजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.10.23 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सयुंक्त खाता में दर्ज है तथा किला नं-23 व किला नं-24 मे प्रार्थी सं-1 की रिहायशी ढाणी तथा किला नं-23, किला नं-18, किला नं-24 व किला नं-17 में प्रार्थी सं-2 भजनसिंह की रिहायशी ढाणी बनी हुई है।

यह कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नं-42 पत्थर सं-187/412, मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 व मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 व अपनी-2 रिहायशी ढाणीयों में आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नही है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमियों व ढाणीयों में आने जाने हेतु कोई भी स्वीकृत रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को बहुत ही ज्यादा परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।

यह कि प्रार्थीगण यही यह स्पष्ट करते है कि मौका पर प्रार्थीगण को अपनी-2 ढाणीयों व कृषि भूमियों में आने जाने के लिए कोई भी स्वीकृत रास्ता नहीं है लेकिन मौका पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति से मुरब्बा नं-42 पत्थर सं-412 के किला नं-25, 16, 15, 6, 5 में पूर्व दिशा मे 2-2 बिस्वा रास्ता चल रहा है जो मुख्य सड़क से जुड़ते हुए उक्त मुरब्बा के उत्तर दिशा में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-187/411 के किला नं-25, 24, 23, 22, 21 में दक्षिण दिशा से होते हुए आगे प्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं-28 के किला नं-24, 25 के दक्षिण से होते हुऐ प्रार्थीगण की ढाणीयों में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति से मौका पर चल रहा है लेकिन स्वीकृत नहीं है। लेकिन प्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नं-28 के किला 5 व 6 तथा मुरब्बा नं-43 में कश्मीरसिंह के हिस्सा की जमीन किला 1, 2 सालम व किला नं-3 का आधा रकबा में प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नही है तथा ना ही कोई रास्ता मौका पर चल रहा है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी-2 ढाणीयों में जाने के लिए प्रार्थीगण मुरब्बा नं-42 पत्थर संख्या-412 के किला नं-25, 16, 15, 6, 5 में पूर्व दिशा प्रत्येक बीघा में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता, मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-187/411 के किला नम्बर 25, 24 23, 22, 21 प्रत्येक में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता, मुरब्बा 28-पत्थर सं-188/411 के किला नं-25 व 24 प्रत्येक में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता (कश्मीरसिंह व भजनसिंह की मौका पर बनी ढाणी की जगह को छोड़ कर यानि ढाणी के मुख्यद्वार के सामने से पश्चिम से उत्तर दिशा तक किला नं-24 की बट तक रास्ता के लिए छोड़ी गई जगह किला नं-24/4, 25/3, 25/4 में कुल 0.0760 हैक्टर रास्ता आने जाने के लिए यानि एल टाईप) तथा मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 के किला नं-1, 2, सालम व किला नं-3 का आधा रकबा जाने के लिए मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नं-24 से मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 के किला नं-3 मे 12 फुट चौड़ा व 82-1/2 फुट लम्बा रास्ता व किला नं-4 मे 12 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता तथा मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नं-6 मे प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नं-29 के किला नं-21, 20 मे पश्चिम दिशा की तरफ 12-12 फुट चौड़ा तथा किला नं-20 मे 151.6 फुट लम्बा तथा किला नं-20 से पश्चिम में से होते हुऐ मुरब्बा नं-28 के किला नं-16 मे 12 फुट चौड़ा व 30 फुट लम्बा तथा किला नं-15 मे 12 फुट चोड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। उक्त रास्ता स्वीकृत होने के बाद उक्त रास्ता से होकर प्रार्थीगण मुख्य सड़क पर आ जा सकते है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुगम व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है ।

यह कि प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मे फसल बिजांद कर रखी है तथा प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आने जाने के लिए मौका पर चल रहा स्वीकृत नहीं होने के कारण तथा मुरब्बा नं-28 व 43 मे आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि, ढाणीयों मे आने जाने के लिए भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है तथा रास्ता के अभाव मे प्रार्थीगण को अपनी कृषि जिन्स कृषि मण्डी मे लाने में भारी असुविधा होती है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे रास्ता मंजुर करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अकंन करवाना चाहते है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण ने दिनांक 04-01-2024 को अप्रार्थीगण से मिल कर उसकी कृषि मे से रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थी अप्रार्थी सं-4 से मिल कर [illegible] अकंन करने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी सं-4 ने सक्षम अधिकारी के समक्ष [illegible] का कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत कर [illegible] किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श्रीमान [illegible] में पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.10.23 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान जी से [illegible]न है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण अपनी-2 ढाणीयो मे जाने के लिए प्रार्थीगण के मुरब्बा नं-42 पत्थर से 187/412 के किला

लगातार ....................(3)

खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

नं-25, 16, 15, 6, 5 में पूर्व दिशा प्रत्येक बीघा में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता, मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-187/411 के किला नं-25, 24, 23, 22, 21 प्रत्येक में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता, मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नं-25 व 24 प्रत्येक मे 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता (कश्मीरसिंह व भजनसिंह की मौका पर बनी ढाणी की जगह को छोड़ कर यानि ढाणी के मुख्यद्वार के सामने से पश्चिम से उत्तर दिशा तक किला नं-24 की बट तक किला नं-24/4, 25/3, 25/4 मे कुल 00.760 हैक्टर रास्ता आने जाने के लिए यानि एल टाईप) तथा मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 के किला नं-1, 2 सालम व किला नं-3 का आधा रकबा जाने के लिए मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नं-24 से मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 के किला नं-3 मे 12 फुट चौड़ा व 82-1/2 फुट लम्बा रास्ता व किला नं-4 मे 12 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता तथा मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नम्बर 6 मे प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नं-29 के किला नं-21, 20 मे पश्चिम दिशा की तरफ 12-12 फुट चौड़ा तथा किला नं-20 में 151.6 फुट लम्बा तथा किला नं-20 से पश्चिम मे से होते हुऐ मुरब्बा नं-28 के किला नं-16 मे 12 फुट चौड़ा व 30 फुट लम्बा तथा किला नं-15 में 12 फुट चौड़ा व 185 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जावे तत्पश्चात रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 जरिये वकील श्री केवल बाघला उपस्थित आये। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 द्वारा जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता को स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त गई तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य हुए राजीनामा की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा भू-अ0नि0 वृत श्रीविजयनगर एवं पटवारी हल्का 30 जी0बी0 की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रेपित किया गया। भू-अ0नि0 वृत श्रीविजयनगर एवं पटवारी हल्का 30 जी0बी0 द्वारा प्रेपित रिपोर्ट अनुसार मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक 29 जी0बी0-ए तहसील श्रीविजयनगर जमाबंदी खाता संख्या 106 मु0न0 28 का 3.124 हैक्टर रकबा भजनसिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख खाता संख्या 199 मु0न0 28 का 3.125 हैक्टर रकबा कश्मीर सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह जाति जटसिख खाता संख्या 200 मु0न0 28 का 0.076 हैक्टर रकबा कश्मीर सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह 1/2 हिस्सा, भजन सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह 1/2 हिस्सा, खाता संख्या 24 मु0न0 43 का 1.581 हैक्टर रकबा कश्मीर सिंह पुत्र श्री जंगीर सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त जोत में पहुंचने हेतु चक 29 जी0बी0-ए के मु0न0 187/412 (42) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, मु0न0 187/411 (29) किला नम्बर 21 ता 25, मु0न0 188/411 (28) किला नम्बर 15, 16, 25 मु0न0 188/412 (43) किला नम्बर 3, 4 मु0न0 187/411 (29) किला नम्बर 20, 21 में संलग्न नक्शे में दर्शाए अनुसार नवीन रास्ता चाहा गया है। चाहे गये रास्ते की परम आवश्यकता है, जोत में पहले से कोई पहुंच मार्ग स्वीकृत नही है, वर्तमान में वादीगण जोत में पहुचने हेतु नवीन प्रस्तावित मार्ग का उपयोग कर रहे है, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। पूर्व में न्यूनतम एंव निकटम मार्ग हेतु 251-ए के तहत् प्रस्तावित किया गया था, जो दावा वादी द्वारा विड्रोल कर लिया है। अब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रस्तावित मार्ग स्वीकृत करने से खाला, खड़े वृक्ष, फसल या अन्य किसी संरचना के नुकसान होने की संभावना नही है। प्रस्तावित रास्ता खातेदारान की भूमि में से है। कोई भाग राजकीय भूमि/चारागाह भूमि में से होकर नही गुजरता है। उक्तानुसार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी [illegible] के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखा[illegible] का [illegible]र विस्तार करते हुए धारा 251-ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251-ए का समावेश [illegible] उपधारा (1) के (ख) के अनुसार-कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जो[illegible]यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति [illegible] अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक

लगातार ......................(4)

...खण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.10.23 11:41:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।" भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 व अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 राजस्व ग्राम चक 29 जी0बी0-ए तहसील श्रीविजयनगर के मु0न0 28, मु0न0 43 के खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा चक 29 जी0बी0-ए के मु0न0 187/412 (42) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, मु0न0 187/411(29) किला नम्बर 21 ता 25, मु0न0 188/411(28) किला नम्बर 15, 16, 25 मु0न0 188/412 (43) किला नम्बर 3, 4 मु0न0 187/411(29) किला नम्बर 20, 21 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत भू.अ.नि. क्षेत्र की मूल रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अपने रकबा चक 29 जी0बी0-ए के मु0न0 28 एवं 43 को काश्त करने तथा अपनी ढाणी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त भूमि में रास्ता को लेकर चल रहे विवाद में निपटारा करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि का पूर्व में आदान-प्रदान कर लिया गया है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण किसी प्रकार से कोई राशि नही लेना चाहते है, इसलिए रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में करने के आदेश प्रदान किया जाता है तो उसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सहमत है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण का स्वीकार करने योग्य है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व चक 29 जी0बी0-ए तहसील श्रीविजयनगर के मुरब्बा नं. 42 पत्थर से 187/412 के किला नं-5, 6, 15, 16, 25 में पूर्व दिशा प्रत्येक बीघा में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता, मुरब्बा नं-29 पत्थर सं-187/411 के किला नं- 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता, मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नं-24, 25 प्रत्येक मे 16-1/2 फुट चौड़ा रास्ता (कश्मीरसिंह व भजनसिंह की मौका पर बनी ढाणी की जगह को छोड़ कर यानि ढाणी के मुख्यद्वार के सामने से पश्चिम से उत्तर दिशा तक किला नं-24 की बट तक किला नं-24/4, 25/3, 25/4 मे कुल 00.760 हैक्टर रास्ता आने जाने के लिए यानि एल टाईप) तथा मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 के किला नं-1, 2 सालम व किला नं-3 का आधा रकबा जाने के लिए मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नं-24 से मुरब्बा नं-43 पत्थर सं-188/412 के किला नं-3 मे 12 फुट चौड़ा व 82-1/2 फुट लम्बा रास्ता व किला नं-4 मे 12 फुट चौड़ा व 33 फुट लम्बा रास्ता तथा मुरब्बा नं-28 पत्थर सं-188/411 के किला नम्बर 6 मे प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नं-29 के किला नं-21, 20 मे पश्चिम दिशा की तरफ 12-12 फुट चौड़ा तथा किला नं-20 में 151.6 फुट लम्बा तथा किला नं-20 से पश्चिम मे से होते हुए मुरब्बा नं-28 के किला नं-16 मे 12 फुट चौड़ा व 30 फुट लम्बा तथा किला नं-15 में 12 फुट चौड़ा व 165 फुट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा/शपथ पत्र अनुसार अप्रार्थीगण रास्ते में आई भूमि के बदले में किसी प्रकार से कोई राशि नही लेना चाहते है। तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि स्वीकृत रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालना बावत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 30/09/2024 को मेरे [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.10.23 11:11:27 IST
Reason: SelfAttested

शकुंतला [illegible]
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Scanned with CamScanner